फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री योगेन्द्र टेलर पुत्र श्री जसवंत टेलर, पिपली चौक, भावसर वाड़ा दुर्लभ विलासी मंदिर के पास, वार्ड नं. 30 बांसवाड़ा

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 48/2022**

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 12.09.2022

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा जरिये क्रमांकः सूचना का अधि.005/2022/2353 दिनांक 18.08.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पंचायत समिति, कुंभलगढ द्वारा पत्रांकः पसकु/2022–23/3004–5 दिनांक 4.8.2022 से सीधे ही पृष्ठाकिंत की जा चुकी है तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा इस न्यायालय को भिजवाते हुए प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी डाक से भिजवाई जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना पंचायत समिति, कुंभलगढ द्वारा पत्रांकः पसकु/2022–23/3004–5 दिनांक 4.8.2022 से सीधे ही पृष्ठाकिंत की जा चुकी है तथा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा इस न्यायालय को भिजवाते हुए प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी डाक से भिजवादी जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को भिजवायी जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)